



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1593-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 26/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह जनपद            | वर्तमान तैनाती इकाई                                               | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम      |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                     | 3                                                                 | 4                                            |
| 1        | राजीव कुमार गुप्ता/17703154<br>/ गाजियाबाद/30.06.2042 | विद्युत वितरण खण्ड-पंचम, अलीगढ़,<br>अन्तर्गत द०वि०वि०नि०लि०, आगरा | पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,<br>वाराणसी |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**

**उ०प्र०पा०का०लि०**

संख्या :1593- अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-पंचम, अलीगढ़।
- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

(उमेश सिंह यादव)

अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)